

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

आदेश

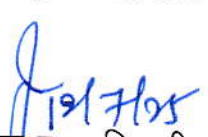
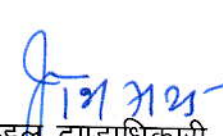
वाद संख्या 85/2024-25

धारा 163 BNSS

प्रथम पक्ष अजीत तोपनो

बनाम

द्वितीय पक्ष काच मुण्डा

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तिथि
	थाना कामडारा के अप्राथमिकी संख्या 02/2024 दिनांक 22.02.2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष :- अजीत तोपनो, पिता- स्व० सुखराम तोपनो ग्राम- ओल्हान थाना- महाबुआंग जिला-सिमडेगा द्वितीय पक्ष काचु मुण्डा पिता- स्व० मंगरा मुण्डा ग्राम- कामडारा थाना- कामडारा जिला-गुमला के खाता सं० 94 प्लॉट सं० 3231/3534 रकबा 0.35 एकड़ पुस्तैनी जमीन बटवारे को लेकर विवाद है। जिसको लेकर आपसी उभय पक्षों के बीच शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो सकती है। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः उभय पक्षों की बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार का शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त है एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)	